POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनाकं 14-10-2024

1.थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा नैनीताल बैंक से 16 करोड़ 95 लाख रुपये की धोखाधडी वाले गैंग का एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **14-10-2024** को **थाना साइबर क्राइम नोएडा** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये नैनीताल बैंक से 16 करोड़ 95 लाख रुपये की धोखाधडी वाले गैंग का एक शातिर अभियुक्त कुलदीप पुत्र गजेन्द्र सिंह को नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी द्वारा दिनांक 10/07/2024 को थाना साइबर क्राइम नोएडा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि नैनीताल बैंक के सर्वर को एक्सेस करके बैंक के RTGS (Service branch Noida) के पूल एकाउण्ट से 16 करोड़ 95 लाख रुपये की विभिन्न बैंक खातो मे ट्रांसफर करके धोखाधडी की गयी है। विवेचना के क्रम में एक लाभार्थी खाताधारक को दिनांक 08/08/2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी क्रम मे घटना मे शामिल एक अन्य अभियुक्त कुलदीप कुमार को दिनांक 14/10/2024 को नोएडा से गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की गयी थी। अभियुक्त द्वारा उक्त अभियोग में प्राप्त किए गए 01 करोड़ 97 लाख रुपये में से 1 लाख 52 हजार रुपये घटना में शामिल अन्य लोगो को दिए गए थे तथा स्वयं 05 लाख रुपये प्राप्त किए गए थे।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसके द्वारा नैनीताल बैंक से सम्बन्धित धोखाधडी की धनराशि को अन्य बैंक खातों में लेकर धोखाधडी की धनराशि को निकाल कर अन्य सहअभियुक्तो तक पहुंचाया गया। उक्त घटना को कारित करने के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराये गये थे, घटना में शामिल अन्य लोगो की तलाश की जी रही है। अभियोग में अब तक 04 करोड़ 10 लाख रुपये की धनराशि फ्रीज करायी जा चुकी है

अभियुक्त का विवरण--

1. कुलदीप पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी पाण्डव नगर, थाना कविनगर, जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 39 वर्ष।

2.थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा गांजा तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 36 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा(कीमत लगभग 5,50,000 रूपये) बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **14.10.2024** को **थाना सेक्टर-49** पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से थाना क्षेत्र के पिल्लर नं0 77 के सामने सार्वजनिक शौचालय के पास अवैध गांजा की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त रामपाल पुत्र नत्थुलाल को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से **36 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा(कीमत लगभग 5,50,000 रूपये)** बरामद किया गया है। अभियुक्त अपने साथ लिये गांजे को कही लेकर जाने की फिराक में था तभी उसको **गिरफ्तार** कर लिया गया।

अभियुक्त का विवरण--

1. रामपाल पुत्र नत्थुलाल निवासी शिव मंदिर वाली गली, सलारपुर, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर उम्र 41 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 0017/2022 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 0167/2024 धारा 8/20/29 एनडीपीएस0 एक्ट थाना से0-39, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 0194/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस0 एक्ट थाना से0-39, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 0446/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस0 एक्ट थाना से0-39, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 0538/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस0 एक्ट फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 0418/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस0 एक्ट थाना से0-49, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 36 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा(कीमत लगभग 5,50,000 रूपये)

3. थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा भीड़भाड़ व मेला/बाजार आदि स्थानों से मोबाइल फोन चोरी करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 10 मोबाइल फोन, 02 अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त एक टैम्पू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनाँक **14/10/2024** को **थाना सेक्टर-24** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से थाना क्षेत्र के एच ब्लाक सेक्टर-22 नोएडा के पास से 06 अभियुक्त 1-सोनू

उर्फ शानू पुत्र स्व0 शईद 2-मौ0 अकरम पुत्र मौ0 सुलेमान 3-शाहीद पुत्र अब्दुल कातिर 4-अभिषेक पुत्र राजकुमार 5-ऋषि पुत्र रामरतन 6-तुषार पुत्र बबलू को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये विभिन्न कम्पनियों के 10 मोबाइल फोन, 02 अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त एक टैम्पू रजि0 नं0 डीएल 1 आर.ए.बी 0793 बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- सभी अभियुक्तगण भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे मेला, साप्ताहिक बाजार, मार्केट आदि में योजना बनाकर ऑटो से नोएडा आते है और सभी लोग एक साथ घुसकर उनको जो भी आसान टारगेट लगता है, उसको देख लेते है। ये लोग उसके चारो तरफ खडे होकर उनमें से कुछ लोग टारगेट को बातो में उलझाकर या उसका ध्यान भटकाकर उसकी जेब या बैग में से मोबाइल को निकाल लेते है। सभी अभियुक्तगण मोबाइल चोरी की घटनायें पूरे एनसीआर क्षेत्र में करते है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि उनसे बरामद हुए मोबाइल फोन उनके द्वारा मेले, साप्ताहिक बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानो से रैकी करके चोरी किये गये थे।

अभियुक्तों का विवरण--

1. सोनू उर्फ शानू पुत्र स्व0 शईद निवासी कबीर नगर, थाना वैलकम दिल्ली, उम्र करीब 25 वर्ष।
2. मौ0 अकरम पुत्र मौ0 सुलेमान निवासी मुस्तफाबाद, थाना गोकुलपुरी, दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष।
3. शाहीद पुत्र अब्दुल कातिर निवासी कर्दमपुरी, थाना ज्योति नगर, दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष।
4. अभिषेक पुत्र राजकुमार निवासी डेल्टा ब्लाक, थाना सोनिया विहार, दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष।
5. ऋषि पुत्र रामरतन निवासी नन्द नगरी, थाना नन्द नगरी, दिल्ली उम्र करीब 45 वर्ष।
6. तुषार पुत्र बबलू निवासी मीनू घडौली थाना कल्याणपुरी, दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी किये गये कुल 10 मोबाइल
2. कुल 02 अदद नाजयज चाकू
3. एक अवैध टैम्पू रजि0 नं0 डीएल 1 आर.ए.बी 0793

अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 0457/2024 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।